

०१०  
९०

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
पत्रांक— १८६ /FP/UK/ROAD/12982/2015:देहरादून:दिनांक: १९ जुलाई, 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
अस्कोट।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु २.११०७ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः—ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/12982/2015

महोदय,


विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड किया गया है, परन्तु प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके अभाव में प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है। अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तीन प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।


भवदीय,

  
(एच० केओ सिंह)  
वन संरक्षक

संख्या १८६ /FP/UK/ROAD/12982/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रस्ताव तैयार करवाकर मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
(एच० केओ सिंह)

  
(एच० केओ सिंह)  
वन संरक्षक